

अध्याय II

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) सरकारी कम्पनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपूरक जारी करने या उस पर टिप्पणी जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए तथा प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत किया जाए।

2.2 सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की समय से नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत एक सरकारी कम्पनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जून/जुलाई 2016 के दौरान की गई थी।

वर्ष 2016-17 के लिए उपर्युक्त कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जून/जुलाई 2016 के दौरान की गई थी।

2.3 सीपीएसईज़ द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के कार्यचालन और कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है और ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की

एक प्रति और सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में अनुबद्ध है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा वित्तीय विवरण उक्त एजीएम को उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर दंड और कारागार जैसी शास्ति लगाने का भी प्रावधान है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में अनुपालन के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के निदेशकों सहित चूककर्ता व्यक्तियों के प्रति कोई कार्यवाई नहीं की गई है जबकि विभिन्न सीपीएसईज़ के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसका विवरण आगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

2.3.2 सरकारी कम्पनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

31 मार्च 2017 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 438 सरकारी कम्पनियां तथा 192 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां थीं। वर्ष 2016-2017 के लिए इनमें से 433 सरकारी कम्पनियों और 192 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों से लेखे देय थे। 5 सरकारी कम्पनियों जो कि नई थी, के लेखे देय नहीं थे। 30 सितम्बर 2017 या इससे पहले कुल 376 सरकारी कम्पनियों

630 सरकारी एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में से 81 कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

तथा 168 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 57 सरकारी कम्पनियों तथा 24 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं को प्रस्तुत करने के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

विवरण	सरकारी कम्पनियां/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां जहां सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई						
	सरकारी कम्पनियां		सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां		कुल		
31.03.2017 तक सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत कुल कम्पनियों की संख्या	438		192		630		
	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	
सूचीबद्ध/असूचीबद्ध	51	387	8	184	59	571	
कम्पनियों की संख्या जिनके लेखे 2016-17 के लिए देय नहीं थे।	0	5	0	0	0	5	
कम्पनियों की संख्या जिनके लेखे 2016-17 के लिए देय थे।	51	382	8	184	59	566	
30 सितम्बर 2017 तक सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखे।	51	325	8	160	59	485	
बकाया लेखाओं की संख्या	0	57	0	24	0	81	
बकाया के ब्यौरें	(i) परिसमापनाधीन	0	22	0	8	0	30
	(ii) समाप्त	0	3	0	6	0	9
	(iii) पहला लेखा जमा नहीं	0	2	0	1	0	3
	(iii) अन्य	0	30	0	9	0	39
'अन्य' श्रेणी के प्रति बकाया का अवधि वार विश्लेषण	एक वर्ष (2016-17)	0	21	0	3	0	24
	दो वर्ष (2015-16 और 2016-17)	0	3	0	2	0	5
	तीन वर्ष और अधिक	0	6	0	4	0	10

परिशिष्ट II क और परिशिष्ट II ख में इन कम्पनियों के नाम दर्शाए गए हैं।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

छः सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पांच सांविधिक निगमों, जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, में से चार²⁵ सांविधिक निगमों ने समय पर लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2016-17 के अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। वर्ष 2016-17 के लिए भारतीय खाद्य निगम के लेखे 30 सितम्बर 2017 को प्रतीक्षित थे। केन्द्रीय वेयरहाऊसिंग कांफ़रिशन के मामले में, सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की है तथा लेखा समय पर प्राप्त हुए थे।

2.4 सीएजी का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय प्रस्तुतीकरण ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा पर्यवेक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्ति का उपयोग करते हुए किया जाता है

²⁵ भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।

- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना।
- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को पूरक करना या टिप्पणी करना।

2.4.3 चयनित सीपीएसईज़ के वार्षिक लेखाओं की तीन चरणीय लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचे ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चुनी गई सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से सीएजी द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, यदि कोई है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

तीन चरण लेखापरीक्षा
सीपीएसई में वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सीएजी द्वारा लागू की गई वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए एक तीव्र, नवीन, केन्द्रित और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण।

तीन चरण लेखापरीक्षा

चरण-I
लेखाकरण नीति की समीक्षा और पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई



चरण-II
वित्तीय विवरणों की जांच, प्रबन्धन को एक अवसर देना और समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना



चरण-III
प्रबन्धन द्वारा लेखाओं के अनुमोदन के बाद वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की अन्तिम जांच।

चूंकि, लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता में वृद्धि अर्थात् पठनीयता, विश्वसनीयता और विभिन्न पणधारियों के लिए उपयोगिता में प्रबंधन की सहायता करना है, इसलिए सीएजी ने “तीन चरणीय लेखापरीक्षा की प्रणाली” के द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए अधिक तीव्र, नवीन, केंद्रित और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण आरम्भ किया। तीन चरणीय लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रबंधन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ नए लेखापरीक्षा अभिगम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर चर्चा के बाद मतैक्य आधार पर 2008-09 के वित्तीय विवरणों के लिए सूचीबद्ध, नवरत्न, मिनीरत्न और सांविधिक निगमों की श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले चयनित गए सीपीएसईज़ में लागू किया गया था:

- सीपीएसईज़ द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से संबंधित असंगतियों और संदेहों को दूर करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन और सीएजी की लेखापरीक्षा के बीच प्रभावी संप्रेषण और समन्वित अभिगम स्थापित करना।
- सीपीएसईज़ के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के पूर्व त्रुटियों, चूक, अननुपालन आदि की पहचान करना और उल्लेख करना और सीपीएसईज़ के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा प्रबंधन को समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करना।
- सीपीएसईज़ के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद सीएजी की लेखापरीक्षा के समय को कम करना।

इस प्रकार, तीन चरण लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों पर स्वीकृत टिप्पणियों में सुधार के लिए सीपीएसईज़ के प्रबंधन को समर्थ बनाकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन लाती है।

तीन चरण लेखापरीक्षा के चरण-I और चरण-II कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के विस्तारित प्रावधान है। प्रथम दो चरणों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आपत्तियां प्रारंभिक आपत्तियां के रूप में मानी जाती हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत उप-निर्देश के भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूचित की


जाती हैं। लेखापरीक्षा का अंतिम चरण (चरण III) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के बाद किया जाता है।

2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5.1 तीन चरणीय लेखापरीक्षा का प्रभाव

वर्ष 2016-17 के लिए 71 सीपीएसईज़ की तीन चरण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, सीपीएसईज़ ने अपने वित्तीय विवरणों में अनेक मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन किए थे जिसके कारण इन सीपीएसईज़ के वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

वर्ष 2016-17 के लिए इन सीपीएसईज़ के वित्तीय विवरणों में तीन चरण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्द्धन नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:



सीपीएसईज़ जहाँ महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गया:

क्र.सं.	सीपीएसईज़ का नाम
1.	गेल इंडिया लिमिटेड
2.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
3.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
4.	हाऊसिंग एण्ड अरबन डिवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
5.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
7.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

8.	एनएचपीसी लिमिटेड
9.	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
10.	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
12.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13.	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14.	सदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
15.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

2.5.2 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरण 376 सरकारी कम्पनियों (51 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित), 168 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों (8 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) तथा पाँच सांविधिक निगमों से 30 सितम्बर 2017 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से 251

सीएजी ने वर्ष 2016-17 के लिए 332 कम्पनियों और पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।

सरकारी कम्पनियों और 81 सरकार द्वारा नियंत्रित कम्पनियों तथा पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

कुल मिलाकर सीएजी ने 30 सितम्बर 2017 तक प्राप्त लेखाओं में से 67 प्रतिशत सरकारी कम्पनियों और 48 प्रतिशत सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की।

2.5.3 लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संशोधन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 35 सरकारी कम्पनियों और 6 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट संशोधित कीं।

2.5.4 सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी सीएजी की टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात, सीएजी ने अनुपूरक लेखापरीक्षा की और सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

❖ सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियाँ

लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> भारत सरकार द्वारा कम्पनी के लिए अनुमोदित (25 मई 2017) पुनर्गठन योजना के अनुसार कम्पनी द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/स्वैच्छिक विच्छेद योजना के संबंध में किये गये व्यय ₹ 84.46 करोड़ को शामिल नहीं किये जाने के कारण कर्मचारी लाभ खर्च और हानि कम बताये गये थे। रसायनी इकाई के वेतन संशोधन (1997 और 2007) के प्रावधान के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 22.08 करोड़ तक कर्मचारी लाभ खर्च कम दर्शाये गए थे और पूर्व अवधि समायोजन अधिक बताये गये थे।
2.	आईएफसीआई लिमिटेड (एकल और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम अधिक दर्शाये गये थे और अशोध्य और संदिग्ध परिसंपत्तियाँ के लिए प्रावधान तथा हानियाँ ₹ 123.66 करोड़ तक कम बताये गये थे: वीबीसी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के अपरिवर्तनीय डिबेचरों में संदिग्ध परिसंपत्तियों के स्थान पर मानक संपत्ति के रूप में ₹ 56.74 करोड़ के अंशदान के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 51.03 करोड़ का कम प्रावधान, अवमानक परिसंपत्ति के रूप में कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड को दिये गए ₹ 50 करोड़ ऋण के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 2.68 करोड़ का कम प्रवधान, कोस्टल एनर्जी प्रा. लि. को दिए गए (जुलाई 2013

		<p>और जुलाई 2015) ₹ 368.97 करोड़ के मियादी ऋण के संबंध में आरबीआई के एस4ए²⁶ योजना के अनुसार ₹ 69.95 करोड़ का प्रावधान नहीं बनाना।</p> <ul style="list-style-type: none"> दीर्घ अवधि निवेशों के मूल्य में कमी के लिए किया गया ₹ 155.46 करोड़ का अपर्याप्त प्रावधान।
3.	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> देनदारियां और प्रगतिशील पूंजीगत कार्य निम्न के कारण ₹ 84.45 करोड़ तक कम बताया गया: 31 मार्च 2017 तक कार्य संविदाओं के लिए देय राशि होने के कारण ₹ 76.03 करोड़ का लेखाकरण नहीं किया जाना। मुम्बई मेट्रो लाइन-3 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जापान इन्टनेशनल कॉर्पोरेशन एजेन्सी से ऋण संबंधी प्रारंभिक छूट के भुगतान के प्रति ₹ 8.42 करोड़ का प्रावधान न करना।
4.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> मैसर्स पम्पुहार शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ चार्टर पार्टी एग्रीमेन्ट के आधार पर मार्च 2014 और मार्च 2017 के बीच तैनात आठ पोतों के संबंध में अप्रत्याशित रूप से बंद भाड़ा और सेवा कर के कम भुगतान के कारण ₹ 6.05 करोड़ तक कारोबार प्राप्यों के साथ-साथ लाभ अधिक बताए गए और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान कम बताए गए थे।
5.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड - समेकित और एक मात्र वित्तीय विवरण	<ul style="list-style-type: none"> अनुमेय मुक्त समय के अन्तर्गत वैगनों की उतराई/चढ़ाई में कम्पनी की विफलता के कारण दिसम्बर 2015 और दिसम्बर 2016 के बीच की अवधि के लिए इंजन किराया प्रभारों के प्रति रेलवे द्वारा ₹ 8.15 करोड़ की कटौती दावे वसूली के रूप में दिखाये गये थे। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.15 करोड़ तक वर्ष के लिए अन्य खर्चों और हानियों को कम बताया गया और वसूली योग्य दावों को अधिक बताया गया था। अन्य खर्च और हानियां, 2008 से 2010 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा लम्बी पटरियों की अधिप्राप्ति पर पहले से अधिक अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के भुगतान के प्रति भारतीय रेलवे द्वारा कटौती की गई राशि के प्रावधान नहीं करने के कारण ₹ 15.75 करोड़ कम बताए गए थे। आस्थगित देनदारी के प्रति एनटीपीसी और कम्पनी के मध्य 50:50 संयुक्त उद्यम कम्पनी एनटीपीसी-सेल पावर सप्लाय कम्पनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल) से ₹ 22.87 करोड़ के दावे का प्रावधान नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 22.87 करोड़ तक अन्य खर्चों और हानि को कम बताया गया।

²⁶ महत्वहीन परिसंपत्तियों के सतत ढांचे के लिए योजना

6.	दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एकल और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> मौजूदा पट्टा समझौते की निबंधन और शर्तों में एकतरफा या किसी भी परिवर्तन के बिना एक कार्यालय इमारत के संबंध में, 2004-05 से 2015-16 की अवधि के लिए भूमि और विकास कार्यालय को देय 25 प्रतिशत पट्टा किराये के प्रति देनदारी के प्रतिलेखन के परिणामस्वरूप ₹ 66.12 करोड़ तक विशेष मदों-आय को अधिक बताया गया और समान मात्रा तक हानि के साथ-साथ देनदारियों को कम बताया गया।
----	---	---

प्रकटीकरण पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा मांगे गए 2007-08 से 2010-11 और 2012-13 की अवधि से संबंधित ₹ 590.90 करोड़ की लाइसेंस फीस का प्रावधान नहीं करने पर 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखे पर टिप्पणियां की गई थीं। इस के उत्तर में, कम्पनी ने बताया कि विषय डीओटी के द्वारा समीक्षा के अधीन थे, कोई देय लाइसेंस शुल्क लम्बित नहीं था, इस विषय को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप से प्राप्त नहीं होने के कारण कोई ऋण स्वीकार नहीं था और इस प्रकार, इसके लिए प्रावधान बनाने का कोई ऑचित्य नहीं था। तथापि, वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरणों में उपरोक्त का प्रकटन नहीं किया गया था।
2.	दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> लेखापरीक्षक की रिपोर्ट ने ₹ 1904.24 करोड़ की बकाया राशि वाले एक व्यापार सहयोगी के द्वारा वर्ष 2004 से 2016 के दौरान षड़यंत्र, धोखाधड़ी और भंडार के दुरुपयोग के मामले को प्रकट नहीं किया।

❖ असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां

लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	एयर इंडिया लिमिटेड (वर्ष 2015-16 के	<ul style="list-style-type: none"> नौ विमानों के संबंध में ₹ 306.43 करोड़ के मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया था जो निपटान के लिए परिसंपत्ति

	लिए)	<p>में स्थानान्तरित कर दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप मूल्यहास और ऋण परिशोधन व्यय कम बताया गया और ₹ 306.43 करोड़ तक निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति को अधिक बताया गया। परिणामस्वरूप, इसी सीमा तक हानि को भी कम बताया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> कम्पनी ने पट्टे पर दी गई भूमि के ऋण परिशोधन के प्रति ₹ 14.01 करोड़ की राशि प्रतिलेखित की थी जो स्थायी पट्टे पर नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप मूल्यहास कम बताया गया और हानि ₹ 14.01 करोड़ तक कम बताई गई।
2.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> पुर्जों की बिक्री में ₹ 40.82 करोड़ मूल्य के पुर्जों को शामिल किया गया था, जो 31 मार्च 2017 के बाद जारी किए गए अदिनांकित निरीक्षण प्रमाणपत्र पर लेखांकित किये गये थे। पुर्जों के विक्रय में इन पुर्जों के विक्रय मूल्य को शामिल करने के परिणामस्वरूप ₹ 40.82 करोड़ तक पुर्जों का अधिक विक्रय बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप वस्तुसूची को कम बताया गया और लाभ को अधिक बताया गया, जिसके प्रभाव को मापा नहीं जा सका था।
3.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> भण्डार मूल्य बही खाते में बिन कार्ड के अनुसार खपत का लेखाकरण नहीं होने के परिणामस्वरूप माल-सूचियों को अधिक बताया गया और ₹ 6.55 करोड़ तक भण्डारों और पुर्जों और कच्चे माल की खपत को कम बताया गया। परिणामस्वरूप समान राशि तक हानि को कम बताया गया।
4.	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> अप्रैल 2004 से मई 2009 की अवधि के लिए सीडीए पैटर्न कर्मचारियों हेतु 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते के विलय के कारण बकायों का प्रावधान करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ तक मौजूदा देनदारियों के साथ-साथ खर्चों को कम बताया गया। फलस्वरूप समान राशि तक हानि को कम बताया गया।
5.	एमपीसीओएन (एकत्र और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> अन्य मौजूदा देनदारियों में ₹ 1.20 करोड़ शामिल नहीं थे, जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा यथा निर्धारित कर्मचारियों को क्रेडिट करने के लिए संचित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण के लिए देनदारी है जिसके परिणामस्वरूप छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी को कम बताया गया और ₹ 1.20 करोड़ तक लाभ को अधिक बताया गया।
6.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2015-16 के साथ-साथ 2016-17 के लिए कुवैत एजेंसी (कम्पनी का शाखा कार्यालय) की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दिये गए उपयुक्त मत के अनुसार, पुनर्बीमा सत्तान्तरित

	<p>प्राप्यों के संबंध में ₹ 31.05 करोड़ की राशि की वसूली के लिए लेखापरीक्षक अपने आप को संतुष्ट करने में असमर्थ थे। ₹ 18.75 करोड़ की शेष राशि को वसूल करने की संभावना के लिए किसी भी साक्ष्य के बिना इसके विपरीत केवल ₹ 12.30 करोड़ का एक प्रावधान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.75 करोड़ तक प्रावधान और हानि को कम बताया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रीमियम घाटा आरक्षित (पीडीआर) ₹ 107.65 करोड़ तक कम बताया गया था क्योंकि उसे इरडा के परिपत्र (04 अप्रैल 2016) के खण्ड सं. 3 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के खण्ड सं. 64 v (1) (ii) (ब) के अनुसार उसे सृजित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष की हानि को ₹ 107.65 करोड़ से कम बताया गया था।
--	---

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कम्पनी ने भारत सरकार को देय बकाया देय के एक प्रतिशत पर देय गारंटी शुल्क की तुलना में 0.5 प्रतिशत की दर पर प्रावधान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 49.91 करोड़ तक अन्य मौजूदा देनदारियां का कम प्रावधान हुआ और लाभ को अधिक बताया गया था।
2.	एयर इंडिया लिमिटेड (वर्ष 2015-16 के लिए)	<ul style="list-style-type: none"> • एयर इंडिया एयर ट्रान्सपोर्ट सर्विसिस लिमिटेड (एआईएटीएसएल) के साथ सहभाजित राजस्व पर लागू होने पर 2015-16 तथा 2014-15 वर्षों के लिए सेवा कर के लिए क्रमशः ₹ 7.56 करोड़ तथा ₹ 7.68 करोड़ तक अल्पावधि प्रावधान कम बताए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.24 करोड़ तक अल्पावधि प्रावधानों को कम बताया गया और ₹ 7.68 करोड़ तक पूर्व अवधि समायोजन (निवल) और ₹ 7.56 करोड़ तक अन्य खर्चों को कम बताया गया था। फलस्वरूप ₹ 15.24 करोड़ तक वर्ष की हानि को कम बताया गया था।
3.	एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • परियोजनाओं के प्रति अग्रिम को ₹ 1.10 करोड़ तक कम बताया गया था और जिसका भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन ईकाई के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) से प्राप्त अग्रिम से वर्ष 2013 में भुगतान किया गया था, जबकि एमएचआरडी द्वारा सहमति नहीं दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप

		अन्य दीर्घ अवधि देयताओं (परियोजनाओं के प्रति अग्रिमों) को कम बताया गया और इस अवधि के लाभ को ₹ 1.10 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
4.	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> सामान्य परिसम्पत्तियों के पूँजीकरण में दो महीनों के विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 7.16 करोड़ के मूल्यहास का कम प्रभार हुआ। इसके परिणामस्वरूप समान राशि की अप्रचलित परिसम्पत्तियों तथा लाभ अधिक दिशाये गए थे।
5.	ओएनजीसी पेट्रो एडीशन्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) को देय व्यापार देय में निम्न भुगतान शामिल नहीं थे: वर्ष 2016-17 में मरीन रूट द्वारा ओएनजीसी द्वारा नेफथा की आपूर्ति के लिए ₹ 28.92 करोड़ के लोडिंग प्रभार और ₹ 8.58 करोड़ के प्रीमियम और निर्यात संबंधित व्यय। 2016-17 के दौरान मीथेन की आपूर्ति के लिए ओएनजीसी को किए जाने वाले भुगतान के लिए गलत फार्मुले के अंगीकरण के कारण ₹ 15.49 करोड़ का कम भुगतान। नेफथा, इथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन की खरीद के लिए अतिदेय भुगतान पर ओएनजीसी को ₹ 7.35 करोड़ के ब्याज की देयता। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए वर्तमान देतताएँ एवं हानि को ₹ 60.34 करोड़ तक कम बताया गया। दिसम्बर 2016 में मेसर्स सैमसन्ग इंजीनियरिंग क. लि. द्वारा भेजी गई एक इनवॉयस का लेखाकरण न करने के कारण ₹ 10.50 करोड़ के प्रावधानों का अल्प वर्णन हुआ था। पूर्वोक्त का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप वर्ष में ₹ 10.50 करोड़ तक वर्तमान देयता, अन्य व्ययों के साथ-साथ हानि का कम दर्शाया गया।
6.	सिडकुल कॉन्कोर इंफ्रा कम्पनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> तीन महीनों से अधिक किंतु बारह महीनों से कम की वास्तविक परिपक्वता के ₹ 12.26 करोड़ के सावधि जमा अन्य बैंक जमा शेषों के बजाय रोकड़ एवं रोकड़ समराशियों में निहित थे। गैरचालू परिसम्पत्तियां अधिक बताई गई थीं तथा चालू परिसम्पत्तियां, निजी मालभाड़ा टर्मिनल (पीएफटी) के संस्थापन के बाद रेलवे द्वारा प्रत्यर्पणीय ₹ 0.99 करोड़ की प्रतिभूमि जमा को शामिल अप्रचलित परिसम्पत्तियों के तहत करने के कारण कम बताई गई थीं।

प्रकटन पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड 'रोटेबल्स' एवं 'अन्य स्थाई परिसम्पत्ति' के संबंध में परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के वर्ष में पूर्ण वर्ष के मूल्यहास का प्रावधान कर रहा था और निपटान के वर्ष में कोई मूल्यहास नहीं किया गया यह कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार नहीं था। वित्तीय विवरणों के नोट के अनुसार, वस्तुसूचियों का भारित औसत मूल्य पर मूल्यांकन किया गया था। यह लेखाकरण मानक 2 - वस्तु सूचियों के मूल्यांकन के प्रतिकूल था जो प्रावधान करता है कि वस्तु सूचियों का मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाना चाहिए।
2.	एयर इंडिया लिमिटेड - समेकित वित्तीय विवरण (वर्ष 2015-16 के लिए)	<ul style="list-style-type: none"> वित्तीय विवरणों के नोट के अनुसार, वस्तुसूचियों का भारित औसत मूल्य पर मूल्यांकन किया गया था। यह लेखाकरण मानक 2 - वस्तु सूचियों के मूल्यांकन के प्रतिकूल था जो प्रावधान करता है कि वस्तुसूचियों का मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाना चाहिए।
3.	एयर इंडिया लिमिटेड (वर्ष 2015-16 के लिए)	<ul style="list-style-type: none"> 'बिक्री के लिए परिसम्पत्तियों' के संबंध में लेखाकरण नीति लेखाकरण मानक 10 - अचल परिसम्पत्तियों के अनुरूप नहीं थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड को 'रोटेबल्स' एवं 'अन्य स्थायी परिसम्पत्तियों' के संबंध में परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के वर्ष में पूर्ण वर्ष के मूल्यहास का प्रावधान किया गया था और निपटान के वर्ष में कोई मूल्यहास नहीं किया गया यह कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार नहीं था। वित्तीय विवरणों के नोट के अनुसार, वस्तुसूचियों का भारित औसत मूल्य पर मूल्यांकन किया गया था। यह लेखाकरण मानक 2 - वस्तु सूचियों के मूल्यांकन के प्रतिकूल था जो प्रावधान करता है कि वस्तुसूचियों का मूल्यांकन लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाना चाहिए। वसंत विहार में स्टाफ हाउसिंग कॉलोनी के लिए लीज़ के रद्द डीड और खजुराहो में भूमि के संबंध में हाउसिंग कॉलोनी के लिए लीज़ डीड की समाप्ति के तथ्य प्रकट नहीं किये गए थे। बुकिंग ऑफिस के लिए भोपाल में भूमि और वाराणसी में भूमि के संबंध में लीज़ डीड अभिलेखों में नहीं पाई गयी थी।

4.	आईएफसीआई वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 30 मार्च 2017 की अधिसूचना का अनुपालन नहीं किया था जिसमें प्रावधान किया गया कि स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में एक टिप्पणी शामिल होनी चाहिए कि क्या 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 तक की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) होल्डिंग्स के साथ-साथ की इसमें डीलिंग के लिए वित्तीय विवरणों में पर्याप्त प्रकटन प्रदान किया गया था और यदि ऐसा है तो क्या वे कम्पनी द्वारा रखे गए लेखा बही के अनुरूप हैं।
5.	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर के तुलना समय के बजाय वर्ष के अंत पर शेयरों की अंतिम संख्या पर विचार द्वारा प्रति शेयर अर्जन की गलत ढंग से गणना की गई थी जो लेखाकरण मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन के प्रावधानों के प्रतिकूल था।
6.	इंडिया मेडिसिन्स एण्ड फार्मस्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वर्ष 2015-16 के लिए)	<ul style="list-style-type: none"> आकस्मिक देयताओं में गलत ठंग से दंड प्रभारों के लिए ₹ 0.69 करोड़ शामिल किया गया था जो पहले ही उत्पादों की विलम्बित आपूर्ति के लिए तीन दलों द्वारा काटे गए थे। पूँजी लेखे पर किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि के लिए वचनबद्धता में वर्तमान सुविधाओं के नवीनीकरण एवं संशोधन के लिए दी गई संविदा की शेष अनुमानित राशि के लिए पूँजी वचनबद्धता के लिए ₹ 5.09 करोड़ शामिल नहीं थे।
7.	कामारजार पोर्ट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर में कम्पनी द्वारा अधिग्रहित 8.48 एकड़ भूमि को शामिल किया गया जिसे अब भी इसके नाम पर परिवर्तित किया जाना था। तथापि, भूमि, धोखाधड़ी से एक तीसरी पार्टी द्वारा विभिन्न बैंकों में गिरवी रखी गयी थी और उक्त बैंक ने उसे संलग्नित किया है। यह तथ्य वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया गया था।
8.	एनएचडीसी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> रोकड़ प्रवाह विवरण में 12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाले (उगाहे गए ब्याज के प्रभाव सहित) बैंक जमा के लिए ₹ 269.98 करोड़ का रोकड़ प्रवाह 'निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह' के बजाय 'परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह' में शामिल किया गया था जो आईएनडी एस 7 - नकद प्रवाहों के विवरण की आवश्यकताओं के प्रतिकूल था।
9.	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कम्पनी ने 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 तक की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों एवं अन्य वर्ग के नोट

		<p>रखे एवं संव्यवहार किया। तथापि 30.03.2017 को कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में प्रकटन वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया था। इसके अलावा सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अप्रकटन की रिपोर्टिंग के बजाय गलत बताया कि कम्पनी ने 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोटों नहीं रखे एवं संव्यवहार नहीं किया।</p>
10.	ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं एवं सुख-सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अनुरक्षण, विकास एवं अन्य व्यय के लिए मैंगलोर सेज़ लिमिटेड से प्राप्त ₹ 15.23 करोड़ की कुल मांग में से कम्पनी ने विरोध के तहत ₹ 6.09 करोड़ का भुगतान किया और एक औपचारिक परिचालन एवं अनुरक्षण करार की अनुपस्थिति में कुल मांग की गणना के संबंध में एक विवाद के कारण ₹ 3.83 करोड़ का प्रावधान किया। तथापि, विवाद एवं बकाया मांग ₹ 5.31 करोड़ का प्रकटन नहीं किया गया था।
11.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> इरडा के निवेश विनियमों 2016 और इरडा परिपत्र दिनांक 12 जनवरी 2017 के साथ पठित दिनांक 4 अप्रैल 2016 के इरडा के परिपत्र के अनुसार निवेशों के गैर-द्विभाजन के परिणामस्वरूप ₹ 2370 करोड़ का अंशधारकों के निवेश का अधिक कथन और पालिसीधारकों के निवेशों का अल्पकथन हुआ था। इसके अतिरिक्त, पालिसीधारकों की निधियों और अंशधारकों की निधियों के तहत उचित मूल्य परिवर्तन लेखे को विभाजित करने के इरडा के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 150.11 करोड़ की राशि की स्थिर परिसम्पत्तियों के कुल जुड़ाव के प्रति कम्पनी ने नकद प्रवाह विवरण में ₹ 162.89 करोड़ का वर्णन किया। इसके परिणामस्वरूप लेखा बही एवं नकद प्रवाह विवरण के बीच ₹ 12.78 करोड़ का अंतर था।
12.	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कम्पनी ने विनिर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) के विवरणों को प्रकट नहीं किया यद्यपि 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 की अवधि के दौरान उसे रखा और संव्यवहार किया। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 30 मार्च 2017 की अधिसूचना के प्रतिकूल था।

	<ul style="list-style-type: none"> इसके अलावा अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों के विवरण में कम्पनी ने 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 की अवधि के दौरान रखे गए एवं संव्यवहार किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसपीएन) के विवरण को प्रकट किया एवं वे उपरोक्त के अनुसार कम्पनी द्वारा रखे गए लेखा बहियों के अनुरूप तथ्यपूर्ण नहीं थे।
--	---

❖ **असूचीबद्ध सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां**

लाभप्रदता पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	एग्रिकल्चरल इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> अक्टूबर 2012 में जारी इरडा मास्टर परिपत्र के उल्लंघन में सरकारी प्रतिभूतियों/बांड में निवेशों पर प्रावधान करने के परिणामस्वरूप ₹ 18.07 करोड़ के प्रावधानों का अधिक कथन और ₹ 4.17 करोड़ तक वर्तमान वर्ष के लिए लाभ का कम कथन हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.90 करोड़ के आरक्षित एवं अधिशेष का कम कथन भी हुआ था।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	एग्रिकल्चरल इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> इरडा के निवेश विनियम 2016 और इरडा परिपत्र दिनांक 12 जनवरी 2017 के साथ पठित दिनांक 4 अप्रैल 2016 इरडा के परिपत्र के अनुसार निवेशों के गैर-द्विभाजन के परिणामस्वरूप ₹ 1059.63 करोड़ का पालिसीधारकों के निवेश का अधिक वर्णन और अंशधारकों के निवेशों का अल्पकथन हुआ था। पालिसीधारकों की निधियों और अंशधारकों की निधियों के तहत उचित मूल्य परिवर्तन लेखे को विभाजित करने के इरडा के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

❖ **सांविधिक निगम जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है**

सांविधिक निगम जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, के संबंध में सीएजी द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

- i. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसके संयुक्त उद्यमकार जोकि है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डीआईएएल) और मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (एमआईएएल) से उत्पन्न राजस्व और संबंधित परिचालन, प्रबंधन एवं विकास समझौतों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अंतरित राजस्व के भाग के सत्यापन के लिए मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। संबंधित रिकार्ड की अनुपस्थिति में डीआईएएल एवं एमआईएएल से प्राप्त ₹ 3826.38 करोड़ के राजस्व की सत्यता को प्रमाणित नहीं किया जा सका।
- ii. लेखाओं पर टिप्पणियों में दर्शाये गए अन्य आय, उपार्जित ब्याज के लिए 18 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए ₹ 597.00 करोड़ की सावधि जमा पर देय ₹ 6.89 करोड़ की राशि को प्रकट नहीं किया गया था।
- iii. लेखाकरण नीति के प्रतिकूल डूबंत ऋण एवं संदिग्ध देय का ₹ 38.48 करोड़ अधिक कथन किया गया था।
- iv. एएआई के हवाई अड्डों पर भूमि के अतिक्रमणकारियों के विस्थापन के लिए 1996-97 से 2013-14 तक निर्मित अन्य प्रावधान पुनर्वासन में ₹ 445.74 करोड़ की राशि शामिल थी। चूँकि 31 मार्च 2017 तक ऐसे प्रावधान के प्रति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा और व्यय परिकल्पित नहीं था, इसलिए प्रावधानों की निरंतरता लेखाकरण मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसम्पत्तियों के प्रावधानों का उल्लंघन था और परिणामस्वरूप दीर्घाकाधिक प्रावधानों का अधिक कथन एवं फलस्वरूप ₹ 445.74 करोड़ के लाभ का कम कथन हुआ।
- v. अन्य चालू देयताओं में निम्न विवरणों के अनुसार ₹ 25.14 करोड़ की राशि शामिल नहीं थी:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	लुधियाना, पठानकोट, लेह और भुन्तर हवाईअड्डों पर सुरक्षा कार्मिक के नियोजन की देयता, बकाया वेतन/डीए का प्रावधान न करना	12.02
2.	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को देय कमीपूरक प्रभारों के लिए देयता का प्रावधान न करना	5.17
3.	अप्रैल 2005 से दिसम्बर 2016 तक की अवधि के लिए अमृतसर हवाईअड्डे पर सीमाशुल्क विभाग द्वारा मांगे गए लागत वसूली प्रभारों के लिए देयता का प्रावधान न करना	5.72
4.	चेन्नई निगम को देय सेवा-प्रभार के लिए देयता का प्रावधान न करना	0.92
5.	महाराणा प्रताप हवाईअड्डे, उदयपुर पर रनवे एवं सम्बन्धित कार्यों के विस्तारण एवं मजबूतीकरण के संबंध में मुआवजा देने का प्रावधान न करना	0.32
6.	मार्च 2017 में आपूर्तिकार द्वारा वितरित पुर्जों की देयता का प्रावधान न करना	0.99
	जोड़	25.14

- vi. चालू देयताओं में निम्न के कारण ₹ 109.43 करोड़ की देयता का अधिक प्रावधान शामिल किया गया:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	डीआईएएल एवं एमआईएएल से प्राप्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए खर्च न किए गए मुआवजे शेष के कारण देयता का समायोजन न करना	106.02
2.	पहले से भुगतान किए गए कर्मचारियों से स्रोत पर काटे गए कर की देयता का समायोजन न करना	2.65
3.	आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा किए जाने वाला एंटी-हाईजैकिंग व्यय एएआई की देयता के तौर पर दिखाया गया	0.76
	जोड़	109.43

- vii. मूर्त स्थिर परिसम्पत्तियों के संबंध में लेखाओं के नोट में ₹ 4.71 करोड़ की राशि शामिल की गई जिन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एएआई के लेखा बहियों में पूँजीकृत नहीं किया जाना चाहिए था:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	जयपुर हवाईअड्डे पर टैंगो टैक्सी एवं पेरामीटर रोड पर रिकार्पेटिंग कार्य (₹ 2.58 करोड़); लेह हवाईअड्डे पर फ्लोरिंग एवं फॉल्ट सीलिंग के प्रतिस्थापन (₹ 0.48 करोड़); भुन्तर हवाईअड्डे पर स्ट्रिप की लेवलिंग एवं ग्रेडिंग से संबंधित भूमि कार्य (₹ 0.22 करोड़) और जोधपुर हवाईअड्डे पर क्षतिग्रस्त बिटुमन रोड़ के ऊपर पेवर ब्लॉक्स की लागत (₹ 0.17 करोड़)।	3.45
2.	लखनऊ हवाईअड्डे पर एकीकृत ऑफिस कॉम्प्लेक्स एवं फर्नीचर के लिए नागर विमानन महानिदेशक से वसूली योग्य आनुपातिक लागत	0.68
3.	विजय वाड़ा हवाईअड्डे पर ठेकेदार को दिया गया संघटन अग्रिम पर अर्जित ब्याज टर्मिनल बिल्डिंग, सेरेमोनियल लाउंज आदि के निर्माण की लागत के विरुद्ध नहीं किया गया।	0.58
	जोड़	4.71

- viii. नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ₹ 22.14 करोड़ की राशि मूर्त स्थिर परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं की गई है जिसे एएआई की लेखा बहियों में पूँजीकृत करना चाहिए था:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	नागंल देवत गांव के भूमि मालिकों के स्थानांतरण के लिए रंगपुरी में भूमि के विकास की लागत।	21.08
2.	जयपुर में पूर्ण बिल्डिंग कार्य की लागत (₹ 0.88 करोड़) और जम्मू हवाईअड्डे पर न्यायालय आदेशों के अनुसार बढ़ा हुआ मुआवजा और भूमि मालिकों को प्रदत्त ब्याज (₹ 0.18 करोड़)।	1.06
	जोड़	22.14

- ix. पूँजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) पर लेखाओं पर नोट में ₹ 106.34 करोड़ की राशि शामिल की गई जो कि नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी में बुक नहीं की जानी चाहिए थी:

(₹ करोड़ में)			
क्र.सं.	विवरण	राशि	मूल्यहास की राशि
1.	सीडब्ल्यूआईपी में शामिल सम्पूर्ण कार्य		
	कोलकाता हवाईअड्डे पर सामान्य हैडलिंग लाइन के लिए कन्वेयर लाईन और अतिरिक्त प्रस्थान कन्वेयर	10.08	1.11
	अलीगढ़ हवाईअड्डे पर लोक कार्य सहित रेडियो नेवीगेशन उपकरण	0.51	0.03
	सूरत हवाईअड्डे पर यात्री बोर्डिंग पुल, कार पार्किंग कार्य, कम्पाउंड वॉल का संस्थापन	3.25	0.30 (पूर्व अवधि ₹ 0.01 करोड़)
	इन्दौर में एक्स-बीआईएस (बैगेज जांच प्रणाली) की आपूर्ति संस्थापन और परीक्षण	1.61	0.18
	एएआई के कार्पोरेट मुख्यालय पर फोटोकापीअर, मास्टर क्लॉक सिस्टम, प्रिंटर और एसएपी का गैर-पूँजीकरण	3.99	3.05 (पूर्व अवधि ₹ 2.26 करोड़)
	उप योग	19.44	4.67
2	अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित कार्य किंतु एएआई के सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया गया था		
	निक्षेप कार्य के प्रति नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागर विमानन एवं सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की ओर से निर्मित भारतीय विमानन अकादमी के निर्माण की लागत	82.27	--
	अमृतसर हवाईअड्डे पर बीसीएएस/एएआई बिल्डिंग एवं फर्नीचर की आनुपातिक लागत जो बीसीएएस से वसूली योग्य थी	3.48	--
	उप योग	85.75	-

3	सीडब्ल्यूआईपी के तहत बुक किए गए राजस्व प्रकृति के व्यय		
	कांगडा हवाईअड्डे पर शोचालयों, ग्लास पार्टिशन और गलत सीलिंग का नवीनीकरण (₹ 0.10 करोड़) और श्रीनगर हवाईअड्डे पर वर्तमान टाइल फ्लोरिंग का प्रतिस्थापन (₹ 10.05 करोड़)	1.15	--
	कुल योग (1+2+3)	106.34	4.67

- x. आकस्मिक देयताओं के तहत देय के तौर पर न माने गए दावों पर लेखाओं के नोट में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार के तहत और चारदीवारी से घेरी गई 43.49 एकड़ भूमि के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मांगी गई ₹ 246.40 करोड़ की राशि शामिल नहीं थी।

2.6 लेखाकरण मानकों के प्रावधानों का अननुपालन

कम्पनी अधिनियम 2013 धारा की 129 (1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से लेखाकरण मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श से केन्द्र सरकार ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा यथा प्रस्तुत लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 निर्धारित किए।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि **परिशिष्ट- VI** में ब्यौराबद्ध 16 कम्पनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों का पालन नहीं किया।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने यह पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों का अननुपालन नहीं किया था जिन्हें उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दर्शाया नहीं गया था:

लेखाकरण मानक		कम्पनी का नाम	विचलन
एस 13	निवेश का लेखाकरण	आईएफसीआई लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कम्पनी ने ₹ 155.46 करोड़ के दीर्घावधि निवेश के मूल्य में न्यूनता के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किया था।
एस 15	कर्मचारी लाभ	एमपीसीओएन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जैसा कि आंकलन किया गया कर्मचारियों के क्रेडिट पर संचित अवकाश पर छुट्टी भुनाने के लिए देयता की गैर-मान्यता।

एस 22	आस्थगित कर परि-सम्पत्तियां	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> आस्थगित कर परिसम्पत्तियों में आस्थगित कर गणना में निष्पादन संबंधित वेतन के लिए बनाए प्रावधान को शामिल न करने के कारण ₹ 0.05 करोड़ की राशि शामिल नहीं की गई थी।
-------	----------------------------	---	--

2.7 प्रबन्धन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और निगम इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

पीएसई के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आपत्तियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में सूचित की गई थीं। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताएं अथवा त्रुटियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से भी प्रबन्धन को भी बताई गई थी। यह त्रुटियाँ सामान्यतया निम्नलिखित से संबंधित थी:

- लेखाकंन नीतियों और प्रथाओं को लागू और व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा से उद्भूत समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सके; और
- कतिपय सूचना की अपर्याप्तता या अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित सीपीएसईज़ के प्रबन्धन ने आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा 114 सीपीएसईज़ को 'प्रबंधन पत्र' जारी किए गए थे।